



दूरभाष- 2286709  
2286710

नव चेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

237

पत्रांक : 1361 / 05/76/एक/2016-17

दिनांक : 11 जुलाई 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-आगरा।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
देना बैंक	072410027581	IFSC Code BKDNO720724	495.769

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	आगरा	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि0 आगरा	नगला प्यारेलाल नई आबादी में शिल्पग्राम मुख्य मार्ग से भारतीय बाल स्कूल तक, मुजाइद्दीन खों से भारतीय बाल मन्दिर स्कूल तक, रमेशजी वाली गली एवं गिरधारी लाल वाली गली तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	20.899
2	आगरा	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि0 आगरा	बोथ का उखर्रा, छाटा उखर्रा में मुख्य सौ0सी0 मार्ग से सौताराम, राज कुशवाह से इसुबखान तक, वेद प्रकाश से तिल्लू वाल्मीकि, नरेश वाल्मीकि से राजा वाल्मीकि, राजा से वेद प्रकाश, शान्ती फार्म के सामने वाली गली, बनवारी के मकान से मुरारीतक, मुरारी से राजू हाकिम सिंह से विजेन्द्र, रामजीलाल से धन सिंह, रूप सिंह के बगल वाली गली, हरी सिंह से प्राइमरी पाठशाला, मन्दिर से महेन्द्र सिंह, कुँआ से हरीचन्द्र, महेन्द्र सिंह से रामेश्वर, अतरो से निहालो, आशुराम से परम प्रधान, ज्वाला प्रसाद से गोदन सिंह, मान सिंह से चरमोली, निरपत सिंह वाली गली, उदयपाल सिंह से नरेन्द्र पाण्डेय, विजय सिंह से राज कुमार राजपूत, देवी सिंह से ताराचन्द्र, निहाल सिंह से मान सिंह, शिव मन्दिर से सुम्मेर सिंह तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	66.394
3	आगरा	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि0 आगरा	वार्ड सं० 72 नगला डीम में सत्यप्रकाश लोधी से लीलाघाट तक, किशोर से दिनेश कुम्हार तक, राजू के मकान से चकलेश्वर महादेव मन्दिर तक, चकलेश्वर महोदय मन्दिर रोजेन्द्र तक, महावीर सिंह नाई से राज कुमार तक, प्रयाम सिंह यादव से राजवीर सिंह तक, राजवीर सिंह से उजागर सिंह तक एवं मनोज से मिजाजी लाल तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	33.244
4	आगरा	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि0 आगरा	ककरेठा में श्री राम नारायण से विजय किशोर, विजय किशोर से सुन्दर सिंह, राज कुमार से रामपाल, राकेश से सुभाषचन्द्र, शिवा से मन्दिर, लाखन सिंह से दौलतराम, बलवीर से प्रेमपाल एवं सोहनलाल से भगवानदास तक मे नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	15.939



237/2

दूरभाष- 2286709  
2286710

नव वेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
10	आगरा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० आगरा	मो० शिवाकुन्ज में बी०एम० स्कूल से किशोर कुमार तक, सलीम से सुरेश दिवाकर तक, अनवर से सुधीर तक, सतीश से केशव तक, हाजी निजाम के सामने से पी०पी० नगर पुलिया तक, हाजी निजाम से मौहम्मद खालिद, कल्पना बघेल वाली गली, इमरान से महेन्द्र, महेन्द्र से संजय एवं मन्दिर से रेनू वकील तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	47.559
11	आगरा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न० नि० आगरा	वार्ड नं० 24 टेढ़ी बगिया (उदय नगर मस्जिद) में श्री मुन्ना बघेल के कोने से अनीस खों एवं संजय खों तक, सोबरन सिंह से सूरजपाल तक, सूरजपाल से बहाबुउद्दीन तक, मोहिनुद्दीन खों से मज्जिद तक, साहबुद्दीन खों से मुन्ना बघेल तक, जबरुद्दीन से टेलर मास्टर दुर्गपाल एवं मौ० इकबाल से अनीस खों एवं संजय खों तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	62.382
	योग				495.769

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जाये उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।



237/3

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी नहीं गयी है।

भवदीय,

  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रकपत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. परियोजना अधिकारी, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक